

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 जनवरी 2014—माघ 1, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2014

क्र. एफ-बी-1-09-2013-2-पांच-(06).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के खण्ड (घ) तथा (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 9 में, उप नियम (1) में,—

(क) खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ज) आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्दिष्ट न्यूनतम एवं अधिकतम विक्रय मूल्य.”;

(ख) खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ट) आबकारी आयुक्त द्वारा यथानिर्दिष्ट अन्य जानकारी.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2014

क्र. बी-1-09-2013-2-पांच-(06).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-09-2013-2-पांच-(06), दिनांक 21 जनवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

---

Bhopal, the 21st January 2014

No. F-B-1-09-2013-2-V(06).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (d) and (h) of sub-section (2) read with proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 9, in sub-rule (1),—

(a) for clause (h), the following clause shall be substituted, namely:—

“(h) Minimum and maximum selling price as directed by the Excise Commissioner.”;

(b) after clause (j), the following clause shall be inserted, namely:—

“(k) other information as directed by the Excise Commissioner.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.